न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 150 / 2023	30.10.2023	31.07.2024

1. Mdfc Financiers Pvt. Reg office-Deep Complex, Near Hanuman Maruti Chowk, Goniana Road, Bathinda, Punjab 151001, Branch Office- 514, 5th Floor, Alankar Plaza, Central Spine Vidhyadhr Nagar, Jaipur, 302029

प्रार्थी

बनाम

1–सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढबास।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता वाहन मैक्स पिकअप सी.बी.सी 2 डब्लू डी रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 32 जी. ए. 4060

उपस्थितः–

01. श्री नानूराम कुमावत —वकील प्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता पेश कर प्रथम सूचना रिपोर्ट 0475/2021 पुलिस थाना किशनगढबास अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत पेश कर प्रकरण में जप्त शुदा वाहन मैक्स पिकअप सी.बी.सी 2 डब्लू डी रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 32 जी. ए. 4060 को सुपुर्दगी मे प्राप्त किये जाने हेतु पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर नियमो के परिपेक्ष में जॉच कर जॉच रिपोर्ट/जप्त शुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने अथना नही दिये जाने के संबंध में जर्ये पत्राक 2438 दिनाक 14.12.2022 एवं स्मरण पत्र क्रमाक 751 दिनाक 15.03.2024 के द्वारा रिपोर्ट तलब की गयी लेकिन रिपोर्ट अप्राप्त है।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय संस्थान है ज़ो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है। प्रार्थी कम्पनी ने मुरारीलाल को जिन शर्तो पर वाहन पर वित्तीय सुविधा दी जानी थी, उसकी समस्त शर्तो से अवगत करा दिया गया, मुरारीलाल ने प्रार्थी कम्पनी द्वारा बतायी गयी समस्त शर्तो से सन्तुष्ट हो गया। प्रक्रिया पूर्ण कर दिनाक 31.07.2021 को मुरारी लाल ने कम्पनी से 2,50,000.00 रूपये की वित्तीय सुविधा अनुबन्ध खाता संख्याः Md 847 निष्पादित कर प्राप्त की प्रार्थी कम्पनी द्वारा जिस वाहन पर वित्तीय सुविधा प्रदान की उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 32 जीए 4460 ईजन नम्बर जी.जी. 71 एम. 62055 एंव चैचिस नम्बर 71 एम 58299 है। अनुबन्ध के तहत मुरारीलाल को फाईनेस राशि की अदायगी अनुबन्धोनुसार 11035/–रूपये की 30 किस्तो मे नियमित मासिक चुकानी थी, मुरारीलाल ने निष्पादित लोन अनुबन्ध में इस बात पर सहमति प्रदान की अनुबन्ध में प्रश्नगत वाहन प्रार्थी कम्पनी के यहा बतौर सिक्यूरिटी हाईपोथिकेट (एच.पी.एन) रहेगा व उक्त वाहन प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी का होगा। प्रश्नगत वाहन जिला

परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड है, तथा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्रार्थी कम्पनी का हाईपोथिकेशन (एच.पी. एन) एण्डोर्समेंट दर्ज है। मुरारीलाल ने वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं वाहन पर वित्तीय सुविधा का उपभोग करते समय अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की एवं अनुबन्धोनुसार किश्तो की अदायगी में चूक करना प्रारम्भ कर। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अदायगी का तकाजा करने पर मुरारीलाल गुरेज करने लगा एंव टालमटोल करने लगा। मुरारीलाल वाहन को प्रार्थी को लौटाने को उत्तरदायी हो गया है। तथा मुरारीलाल अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त बकाया राशि प्रार्थी कम्पनी को अदा करने को उत्तरदायी हो गया। वाहन की तलाश करने पर ज्ञात हुआ है, कि वाहन को पुलिस थाना किशनगढबास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 475/2021 में वजह सबूत जप्त किया गया है। प्रार्थी वकील द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु विभिन्न माननीय न्यायालयो के द्वारा पारित निर्णयो की नजीरो का उल्लेख अंकित करते हुये प्रश्नगत वस्तुस्थिति में पक्षकारान के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की रूह में उपरोक्त वाहन मैक्स पिअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 32 जीए 4460 ईजन नम्बर जी.जी. 71 एम. 62055 एंव चैचिस नम्बर 71 एम 58299 की अभिरक्षा प्रार्थी कम्पनी को दिये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि मुरारीलाल ने वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं वाहन पर वित्तीय सुविधा का उपभोग करते समय अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की अनुबन्ध में प्रश्नगत वाहन प्रार्थी कम्पनी के यहा बतौर सिक्यूरिटी हाईपोथिकेट (एच.पी.एन) रहेगा व उक्त वाहन प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी का होगा ऐसी स्थिति में जप्त शुदा को प्रार्थी कम्पनी को सुपुदर्गी पर दिया जावे। उक्त प्रकरण जप्त शुदा वाहन को सुपुदर्गी पर लेने बाबत है, प्रायः नियमानुसार जप्त शुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु वाहन मालिक का अधिकार होता है, उक्त प्रकरण में वाहन मालिक मुरारीलाल है, जिसको उक्त प्रार्थना में प्रार्थी कम्पनी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है, प्रार्थी कम्पनी का कथन है, कि मुरारीलाल द्वारा अनुबन्धो की शर्तो की पालना नही की गयी है, जिसके संबंध में सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजा को नही है। न्यायालय हाजा द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत केवल वाहन मालिक को ही जप्त शुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने/नही दिये जाने का अधिकार क्षेत्र है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)